

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 82 /2019


दिनांक : 12.09.2019

श्रीमती बीना गुप्ता (RJ0563), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चिड़ावा (झुंझुनू) को दिनांक 16.09.2019 से 27.09.2019 तक 12 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 15.09.2019 एवं 28.09.2019 से 29.09.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री प्रमोद बंसल (RJ0481), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, झुंझुनू को श्रीमती बीना गुप्ता के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चिड़ावा (झुंझुनू) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) श्री प्रमोद बंसल (RJ0481), अति. कार्यभार वाले न्यायालय में आनुकल्पिक सप्ताह (Alternate week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे ।
- (2) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/22/2008/ 8664

दिनांक 12.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू को उनके पत्रांक 5582 दिनांक 27.08.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती बीना गुप्ता (RJ0563), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चिड़ावा (झुंझुनू) ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चिड़ावा (झुंझुनू) ।
5. श्री प्रमोद बंसल (RJ0481), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश. क्रम-02, झुंझुनू ।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, झुंझुनू ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार